

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-6200/2022

इन्द्राज सिंह मीणा (कर्मचारी आई.डी.- आरजेजेजे199723007199)

—अपीलार्थी

### बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार,  
शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.12.2022

आदेश की दिनांक : 07.12.2022

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)  
एम.एस. काला, सदस्य

### आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, गुदा पोंख, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा उसका स्थानान्तरण/पदस्थापन रा.उ.मा.वि., जालुवाला, जैसलमेर में किया गया है। उनका तर्क है कि किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ देने की गरज से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। अपीलार्थी हृदय रोग से भी पीड़ित है, जिसका नियमित इलाज चल रहा है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे यह भी तर्क है कि 600 किमी. दूर स्थानान्तरण राजनीतिक मंशा को दर्शाता है, जो अनुचित है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। अपीलार्थी ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, उससे पता चलता है कि अपीलार्थी हृदय रोग से पीड़ित है। वो सितंबर 2022 में अस्पताल में भर्ती भी हुआ था और उसके स्टण्ट लगाया गया था।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 4 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 6 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण न किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस. काला)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)